

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE MINISTRY OF HEALTH AND HIV/AIDS

OF PAPUA NEW GUINEA

ON

COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH CARE

AND MEDICAL SCIENCE

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
OF THE REPUBLIC OF INDIA
AND
THE MINISTRY OF HEALTH AND HIV/AIDS
OF PAPUA NEW GUINEA
ON
COOPERATION IN THE FIELD OF HEALTH CARE
AND MEDICAL SCIENCE

The Government of the Republic of India represented by the Ministry of Health and Family Welfare and the Government of Papua New Guinea represented by the Ministry of Health and HIV/AIDS, hereinafter referred to as the "Parties".

CONSIDERING the positive developments in the relationship between India and Papua New Guinea, enhanced by high level visits, which confirm a mutual interest in the promotion of stronger ties in the health sector;

RECOGNISING the potential for exchanges in the health sector between the two countries and the need to tap the capabilities and opportunities in a focused and comprehensive manner;

HAVING a mutual interest in the growth of cooperation and partnership, joint initiatives and technology development in the health sector;

INTENDING to implement a cooperation programme in the health sector aimed at developing institutional framework for development of healthcare facilities;

HAVE REACHED the following understanding:

1. OBJECTIVES FOR COOPERATION

The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as MoU) is to establish comprehensive inter-ministerial and inter-institutional cooperation between the Parties in the field of health with the ultimate goal of upgrading the quality and reach of human, material and infrastructural resources involved in health care, medical education & training, and research in both countries.

2. AREAS OF COOPERATION

The main areas of cooperation between the Parties will include the following:

- i) Public Health;
- ii) Health Research;
- iii) Human Resources and Training;
- iv) Medical Services;
- v) Disease Control and Prevention;
- vi) Drug and Health Care Technologies;
- vii) Environmental Health; and
- viii) Any other area of cooperation as may be mutually decided upon.

3. FORMS OF COOPERATION

Cooperation between the Parties will take the following forms:

- i) Exchange of medical/ health delegations and experts;
- ii) Promote medical services and personnel exchanges, including staff training in the areas of medicine and health care;
- iii) Improve access to health care services in the two countries;
- iv) Providing of training opportunities to PNG National doctors and nurses in India, as per mutually decided terms and conditions;
- v) Encouraging participation in international organizations and other related conferences and events in both countries
- vi) Any other forms of cooperation as may be mutually decided upon.

4. FUNDING

The financial arrangement to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this MoU will be mutually decided by the

Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds and resources.

5. IMPLEMENTATION

(a) The Parties will set up a Working Group to further elaborate the details of cooperation and to oversee the implementation of this MoU. The Working Group will meet at appropriate times/intervals as mutually decided by the Parties.

(b) The financial terms of cooperation are based on the principle that each Party should cover the costs related to its participation in activities based on this MoU.

(c) The organization responsible for the execution of this MoU on behalf of the Government of the Republic of India will be the Ministry of Health and Family Welfare, India and on behalf of the Government of Papua New Guinea will be the Ministry of Health and HIV/AIDS, Papua New Guinea.

6. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

(a) Each Party will ensure appropriate protection of Intellectual Property Rights generated from cooperation pursuant to MoU consistent with their respective laws, rules and regulations and other international agreements to which the Parties are committed.

(b) The Parties shall agree to ensure the protection of Intellectual Property Rights through the conclusion of separate agreements in accordance with the national legislation of their states and other international agreements to which the Parties are committed.

(c) In case of research results obtained through joint activities under this MoU, both Parties will apply as co-applicants for the protection of intellectual

property rights, subject to exclusive rights of both the Parties to commercialize the technology in their respective countries. Commercialization in any other country shall be done jointly through a separate agreement.

(d) Any publication, document and/or paper arising out of joint work conducted by the participants pursuant to this MoU will be jointly owned. Use of the name, logo and/or official emblem of the participants on any publication, document and/or paper will require prior permission of both the participants. It may, however be ensured that the official emblem and logo is not misused.

(e) Information transmitted by the Parties under this MoU shall be kept confidential and will not be used for purposes other than those for which it was requested, and will not be transferred to a third party without the prior written consent of the Party that provided such information.

7. CONFIDENTIALITY OF INFORMATION

The Parties accept that neither Party will disclose or distribute any confidential information that is supplied to each other in the course of conduct of cooperative activities under the MoU to any third party except as and to the extent authorized in writing to do so by the other Party.

8. REVISION, AMENDMENT AND MODIFICATION

Either Party may request in writing a revision, modification or amendment of all or any part of this MoU. Any revision, modification or amendment accepted by the Parties will be reduced in writing and will form part of this MoU. Such revision, modification or amendment will come into effect on such date as may be determined by the Parties. Any revision, modification or amendment will not prejudice the rights and obligations arising from or based on this MoU prior or up to date of such revision, modification or amendment.

9. SETTLEMENT OF DISPUTES

Any differences or disputes between the Parties concerning the interpretation and implementation or application of any of the provisions of this MoU shall be settled amicably through diplomatic consultation and negotiation between the Parties.

10. SHARING OF RESEARCH FINDINGS

The result of research and technological development as well as their benefits, derived from cooperation under this MoU will be shared between the Parties and, where relevant, other entities participating in such cooperation, in a fair and equitable way in accordance with the provisions to be mutually decided by the Parties.

11. EFFECTIVE DATE, VALIDITY AND TERMINATION

This MoU will be effective on the date of its signature by both Parties and shall remain effective for a period of five (5) years. The period of cooperation under this Memorandum will be automatically extended for another five (5) years unless either of the Party notifies to the other, in writing, of its intention to terminate this Memorandum, at least six (6) months before the desired date of termination.

The termination of this MoU will not affect the implementation of ongoing activities and programmes which have been decided by the Parties prior to the date of the termination of this MoU.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this MoU.

SIGNED in Port Moresby on 29 day of April in the year 2016 in two (2) original texts, each in the Hindi and English languages, all texts being equally authentic.


In the case of any divergence in interpretation between the texts, the English text shall prevail.

FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA

FOR AND ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT-
STATE OF REPUBLIC OF
PAPUA NEW GUINEA



.....
Dr. Sanjeev Kumar Balyan
Hon'ble Minister of State
Ministry of Agriculture &
Farmers Welfare



.....
Hon. Michael Malabag
Minister for Health and HIV/AIDS

भारत गणतंत्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के स्वास्थ्य एवं एचआईवी / एड्स मंत्रालय के बीच स्वास्थ्यपरिचर्या और आयुर्विज्ञानके क्षेत्र में सहयोग पर समझौता-ज्ञापन

भारत गणतंत्र की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और पापुआ न्यू गिनी की सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्समंत्रालय द्वारा किया गया है, इसके पश्चात जिनको "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

भारत और पापुआ न्यू गिनी के संबंधों को उच्च स्तरीय दौरों द्वारा बढ़ाते हुए इसकी सकारात्मक प्रगतियों, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सुदृढ़ संबंधों को बढ़ावा देने में परस्पर हित की पुष्टि करती हैं, को ध्यान में रखते हुए;

दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में आदान-प्रदान करने की क्षमता और केंद्रीकृत व व्यापक ढंग से क्षमताओं और अवसरों को निकालने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए;

स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग व साझेदारी, संयुक्त पहलों व प्रौद्योगिकी विकास में वृद्धि में परस्पर हित होने;

स्वास्थ्य क्षेत्र में एक सहयोग कार्यक्रम जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के विकास के लिए संस्थागत ढांचे का विकास करना है, को कार्यान्वित करने की मंशा रखते हुए;

निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं:

1. सहयोग के उद्देश्य

इस समझौता-ज्ञापन (इसके पश्चात इसे समझौता-ज्ञापन के रूप में संदर्भित किया जाएगा) का उद्देश्य दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य परिचर्या, चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, तथा अनुसंधान में शामिल गुणवत्ता और मानव संसाधन, सामग्री और बुनियादी ढांचे संबंधी संसाधनों तक पहुँच को उन्नत करने के अंतिम लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों सरकारों के बीच व्यापक अंतर-मंत्रालयी व अंतर संस्थागत सहयोग स्थापित करना है।

2. सहयोग के क्षेत्र

दोनों सरकारों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) जन स्वास्थ्य;
- ii) स्वास्थ्य अनुसंधान;

- iii) मानव संसाधन और प्रशिक्षण;
- iv) चिकित्सा सेवाएँ;
- v) रोग नियंत्रण एवं निवारण;
- vi) औषधि एवं स्वास्थ्य परिचर्या प्रोद्योगिकियाँ;
- vii) पर्यावरणीय स्वास्थ्य; और
- viii) पारस्परिक रूप से निर्णीत सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र।

3. सहयोग के रूप

दोनों सरकारों के बीच सहयोग के निम्नलिखित रूप होंगे:

- i) चिकित्सकों/स्वास्थ्य शिष्टमंडल एवं विशेषज्ञों की अदला-बदली ;
- ii) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्रों में स्टाफ प्रशिक्षण सहित चिकित्सा सेवाओं और कार्मिकों की अदला-बदली को बढ़ावा देना;
- iii) दोनों देशों में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सुलभता में सुधार करना;
- iv) परस्पर तय शर्तों और निबंधनों के अनुसार पीएनजी डॉक्टरों और नर्सों को भारत में प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना;
- v) दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और अन्य संबद्ध सम्मेलनों व समारोहों में भागीदारी को बढ़ावा देना;
- vi) पारस्परिक रूप से निर्णीत सहयोग का कोई अन्य क्षेत्र।

4. निधियन

इस समझौता जापन के ढांचे के भीतर की गई सहयोगात्मक गतिविधियों हेतु व्यय के लिए वित्तीय व्यवस्था के संबंध में निधियों और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार मामला दर मामला आधार पर सरकारों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा।

5. क्रियान्वयन

(क) सहयोग के ब्यौरों को और विस्तृत करने तथा इस समझौता जापन के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए सरकारें एक कार्यदल का गठन करेंगी। ये कार्यदल सरकारों द्वारा पारस्परिक रूप से लिए गए निर्णय के अनुसार उपयुक्त समय/अंतराल पर बैठकें आयोजित करेंगे।

(ख) सहयोग की वित्तीय शर्तें इस सिद्धांत पर आधारित होंगी कि इस समझौता जापन पर आधारित गतिविधियों में अपनी भागीदारी से संबन्धित खर्चों को प्रत्येक सरकार वहन करेगी।

(ग) इस समझौता जापन को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार संगठन भारत गणतंत्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत होगा तथा पापुआ न्यू गिनी सरकार की ओर से स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स मंत्रालय, पापुआ न्यू गिनी होगा।

6. बौद्धिक संपदा अधिकार

(क) दोनों पक्षकार अपने संबंधित कानून, नियमों तथा विनियमों और ऐसे अन्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों जिनके प्रति पक्षकार प्रतिबद्ध हैं, के अनुसार समझौता जापन के अनुसरण में प्राप्त सहयोग से सृजित बौद्धिक संपदा अधिकार की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहमत होंगे।

(ख) पक्षकार अपने देशों के राष्ट्रीय विधान तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, जिनके प्रति पक्षकार प्रतिबद्ध हैं, के अनुसार अलग समझौतों के निष्कर्ष के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहमत होंगे।

(ग) इस समझौता जापन के तहत संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त अनुसंधान के परिणामों के मामले में दोनों सरकारें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए सह-आवेदक के रूप में आवेदन करेंगी, बशर्ते कि दोनों सरकारों को अपने-अपने देश में प्रोद्योगिकी के वाणिज्यीकरण का विशेष अधिकार होगा। किसी अन्य देश में वाणिज्यीकरणको संयुक्त रूप से एक अलग समझौते के माध्यम से किया जाएगा।

(घ) इस समझौता जापन के अनुसरण में भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त कार्य से उत्पन्न किसी प्रकाशन, दस्तावेज़ और/ अथवा कागजात पर संयुक्त अधिकार होगा। किसी प्रकाशन, दस्तावेज़ और/ अथवा कागजात पर भागीदारों के नाम, लोगो और/ अथवा आधिकारिक प्रतीक के संबंध में दोनों भागीदारों की पूर्व अनुमति अपेक्षित होगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आधिकारिक प्रतीक और लोगो का दुरुपयोग न हो।

(ङ) इस समझौता जापन के तहत पक्षकारों द्वारा प्रचारित सूचना गोपनीय रखी जाएगी तथा जिस प्रयोजन से सूचना का अनुरोध किया जाएगा उसी प्रयोजन से उसका उपयोग किया जाएगा, अन्यथा नहीं, और ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्ष की पूर्व लिखित सहमति के बिना अंतरित नहीं की जाएगी।

7. सूचना की गोपनीयता

सरकारें यह स्वीकार करती हैं कि उनमें से कोई भी पक्ष समझौता जापन के तहत सहकारी गतिविधियों के प्रचालन के लिए एक दूसरे को प्रदान की गई किसी भी गोपीनीय सूचना को किसी तीसरे पक्ष को उसके सिवाय जाहिर या वितरित नहीं करेगा, जिसके लिए दूसरे पक्ष द्वारा अधिकृत किया गया है।

8. पुनरीक्षण और संशोधन

इस समझौता जापन में पूरे तौर पर या इसके किसी भाग के पुनरीक्षण और संशोधन के लिए दोनों में से कोई भी पक्षकार लिखित अनुरोध कर सकता है। पक्षकारों द्वारा स्वीकृत कोई पुनरीक्षण या संशोधन लिखित रूप में होगा और इस समझौता जापन का भाग बन जाएगा। ऐसा पुनरीक्षण या संशोधन पक्षकारों द्वारा यथानिर्धारित तिथि से प्रभावी होगा। कोई भी पुनरीक्षण संशोधन ऐसे पुनरीक्षण संशोधन की तारीख से पूर्व या उस तारीख तक इस समझौता जापन से उत्पन्न या इस पर आधारित अधिकारों और दायित्वों के प्रति पक्षपातपूर्ण नहीं होगा।

9. विवादों का निपटारा

पक्षोंके बीच इस समझौता जापन के किसी प्रावधान के निर्वचन और क्रियान्वयन या प्रयोग से संबंधित असहमति या विवादों का निपटारा मैत्रीपूर्ण ढंग से कूटनीतिक माध्यमों से किया जाएगा ।

10. अनुसंधान निष्कर्ष का आदान-प्रदान

इस समझौता जापन के अंतर्गत सहयोग से उत्पन्न अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के निष्कर्ष के साथ-साथ उनके लाभों का पक्षों के बीच, जहाँ उचित हो, और ऐसे सहयोग में भागीदारी करने वाली अन्य संस्थाओं को, पक्षों द्वारा परस्पर निश्चित किए प्रावधानों के अनुरूप न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से आदान प्रदान किया जाएगा।

11. प्रभावी तिथि, वैधता और समाप्ति


यह समझौता जापन दोनों सरकारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पाँच (5) वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इस जापन के तहत सहयोग की अवधि स्वतः ही अगले पांच (5) वर्ष के लिए बढ़ जाएगी, बशर्तकि कोई सरकार समझौता जापन की समाप्ति से कम से कम छः (6) माह पहले इसे समाप्त करने की अपनी मंशा के बारे में दूसरे को लिखित सूचना न दे।

इस समझौता जापन की समाप्ति का, इस समझौता जापन की समाप्ति की तारीख से पूर्व सरकारों द्वारा निश्चित किए गए जारी कार्यकलापों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2016 के अप्रैल माह की 29 तारीख को पोर्ट मोसंबी में हिंदी और अंग्रेजी, प्रत्येक की (2) दो-दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। दोनों प्रतियों के पाठ में किसी प्रकार कामतभेद होने पर, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणतंत्र की सरकार की ओर से



.....
डॉ संजीव कुमार बालियान
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

पापुआ न्यू गिनी के सरकार की ओर से



.....
माइकल मालबाग
स्वास्थ्य और एचआईवी/ एड्स के मंत्री